



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार-249404

765


संख्या: 642 70 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-01 / 2019-20

दिनांक: 26 नवम्बर, 2020

### विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) परीक्षा 2020 हेतु विज्ञापन संख्या-A-1/S-1/2020 दिनांक 09 अक्टूबर 2020 एवं विज्ञप्ति संख्या 622/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/2019-20 दिनांक 29.10.2020 द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) तक आमंत्रित किये गये हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया लागू किये जाने एवं समय-समय पर सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में दी गई गाईडलाईन के अनुसार विभिन्न आयोगों/संस्थाओं द्वारा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षाओं का सफल आयोजन किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन करने के पश्चात स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) कराये जाने का निर्णय लिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

02- उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन किया गया है, उसे निरस्त करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर एक "CANCEL OPTION" उपलब्ध कराया जा रहा है। त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने पुराने ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए पुनः शुल्क सहित नवीन ऑनलाइन आवेदन उपर्युक्त उल्लिखित अंतिम तिथि 30.12.2020 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ आयोग कार्यालय में दिनांक 15.01.2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा निरस्त किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जायेगा। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। "CANCEL OPTION" संबंधी एवं अन्य विवरण आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

  
26/11/2020  
(कर्मन्ध्र सिंह)  
सचिव